सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE
पिलानी – 333 031 (राजस्थान), भारत / PILANI – 333 031 (RAJASTHAN), INDIA

संख्या: प्र.नि./समितियां/2026 **दिनांक: 23.11.2026**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर-सीरी, पिलानी एवं इसके विस्तार केंद्र में संस्थागत स्थान के इष्टतम उपयोग हेतु स्थान प्रबंधन समिति (SMC) के गठन के संबंध में।

सीएसआईआर-सीरी, पिलानी एवं इसके विस्तार केंद्रों (जयपुर) के पास प्रयोगशालाओं, कार्यालयों, परियोजना स्थलों तथा अन्य सुविधाओं से युक्त मूल्यवान संस्थागत अवसंरचना उपलब्ध है। निर्माण, रखरखाव, विद्युत, वातानुकूलन, जल, हाउसकीपिंग एवं अन्य सहायक सेवाओं पर होने वाले महत्वपूर्ण आवर्ती व्यय—तथा बढ़ती हुई अनुसंधान एवं विकास (R&D) और परियोजना आवश्यकताओं—को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत आवश्यक है कि उपलब्ध स्थान का उपयोग अनावश्यक धारण या दोहराव के बिना इष्टतम, पारदर्शी एवं आवश्यकता-आधारित तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

तदनुसार, मुख्य केंद्र एवं विस्तार केंद्र में संस्थागत स्थान के विवेकपूर्ण उपयोग, आवंटन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने निम्नलिखित संरचना के साथ एक **स्थान प्रबंधन समिति (Space Management Committee - SMC)** के गठन को सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में स्थिति
1.	डॉ. अनिर्बान बेरा, वैज्ञानिक 'जी'	**अध्यक्ष**
2.	डॉ. प्रमोद कुमार तंवर, वैज्ञानिक 'एफ'	सदस्य
3.	डॉ. जितेंद्र पूनिया, वैज्ञानिक 'एफ'	सदस्य
4.	डॉ. मुकेश कुमार अलारिया, वैज्ञानिक 'एफ'	सदस्य
5.	डॉ. जय गोपाल पांडेय, वैज्ञानिक 'एफ'	**सदस्य-संयोजक**
6.	डॉ. अमित कुमार, वैज्ञानिक 'ई'	सदस्य
7.	श्रीमती शालिनी सक्सेना, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1)	सदस्य
8.	डॉ. आलोक मिश्रा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (2)	सदस्य
9.	प्रमुख, सिविल अनुभाग	सदस्य
10.	प्रशासन नियंत्रक (COA)	सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय (Terms of Reference):

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. सीएसआईआर-सीरी, पिलानी एवं इसके विस्तार केंद्र में रिक्त, अप्रयुक्त एवं अल्प-उपयोग किए जा रहे स्थानों की तत्काल पहचान करना।
2. संस्थागत स्थानों एवं उनकी उपयोग स्थिति की एक समुचित सूची (इन्वेंटरी) तैयार करना तथा उसका अद्यतन रखरखाव करना।
3. सभी रिक्त एवं अप्रयुक्त स्थानों को 'संस्थागत स्थान के साझा पूल' (Common Pool of Institutional Space) के अंतर्गत लाना, जिसका उपयोग भविष्य की संस्थागत, वैज्ञानिक एवं परियोजना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा।
4. वास्तविक वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक अथवा परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर स्थान के आवंटन एवं पुनरावंटन की जांच करना तथा संस्तुति प्रदान करना।
5. इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक दोहराव या अतिरेक (redundancy) से बचने हेतु, जहां आवश्यक हो, वर्तमान स्थान आवंटनों की समीक्षा करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट एवं न्यायोचित वैज्ञानिक, परियोजना अथवा संस्थागत आवश्यकता के बिना एक से अधिक स्थान आवंटित न किए जाएं या उसके पास बने न रहें।
7. पिलानी स्थित मुख्य केंद्र तथा जयपुर सहित सभी विस्तार केंद्रों में किसी व्यक्ति के स्थान आवंटन पर समग्र रूप से विचार करना। कोई भी व्यक्ति पर्याप्त औचित्य एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक स्वतंत्र स्थान अपने पास नहीं रख सकेगा।
8. अतिरिक्त स्थान की संस्तुति करने से पूर्व आवश्यकता की प्रकृति एवं अवधि, परियोजना आवश्यकताओं, उपकरण एवं अवसंरचना संबंधी जरूरतों, मौजूदा सुविधाओं की उपलब्धता तथा साझेदारी (sharing) की संभावनाओं पर विचार करना।
9. स्थान के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा करना तथा जिन मामलों में मूल आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, वहां उन स्थानों को साझा पूल में वापस करने की संस्तुति करना।

3. संस्थागत स्थान का साझा पूल (Common Pool of Institutional Space):

समिति द्वारा चिह्नित किए गए सभी रिक्त एवं अप्रयुक्त संस्थागत स्थान 'संस्थागत स्थान के साझा पूल' का हिस्सा होंगे।

इस साझा पूल का प्रबंधन एक संस्थागत संसाधन के रूप में किया जाएगा तथा इसका उपयोग स्थान प्रबंधन समिति द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं एवं संस्थागत प्राथमिकताओं के आधार पर वैज्ञानिकों, परियोजनाओं एवं संस्थागत गतिविधियों को स्थान आवंटित करने की संस्तुति हेतु किया जाएगा।

4. आवंटित स्थान की वापसी (Reversion of Allocated Space):

किसी भी व्यक्ति को आवंटित स्थान को एक संस्थागत आवंटन माना जाएगा, न कि व्यक्तिगत अधिकार।

निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को आवंटित स्थान स्वतः ही 'संस्थागत स्थान के साझा पूल' में वापस हो जाएगा:

- सेवानिवृत्ति पर;
- त्यागपत्र देने पर;

- विस्तार केंद्र में स्थानांतरण होने पर;
- संस्थान से स्थायी स्थानांतरण अथवा प्रस्थान होने पर;
- जिस वैज्ञानिक, परियोजना या संस्थागत आवश्यकता हेतु स्थान आवंटित किया गया था, उसकी समाप्ति होने पर।

5. मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principle):

सभी संस्थागत स्थानों का प्रबंधन एक साझा संसाधन के रूप में किया जाएगा तथा इनका आवंटन पारदर्शी, विवेकपूर्ण और आवश्यकता-आधारित तरीके से किया जाएगा।

स्थान के आवंटन या धारण में इसके रखरखाव हेतु आवश्यक आवर्ती संस्थागत संसाधनों—जिनमें विद्युत, वातानुकूलन, जल तथा अन्य अवसंरचना एवं सहायक सेवाएं शामिल हैं—को ध्यान में रखा जाएगा।

तदनुसार, अनावश्यक कब्जा, दोहराव या एकाधिक अथवा अल्प-उपयोग किए जा रहे स्थानों को अपने पास बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

समिति इस संबंध में एक व्यापक अभ्यास करेगी तथा इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर स्थान की पहचान, आवंटन, पुनरावंटन एवं युक्तिकरण संबंधी अपनी संस्तुतियां उचित अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी स्थान प्रबंधन समिति को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

कार्यकाल:

स्थान प्रबंधन समिति का गठन एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए किया गया है।

निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के पास समिति की किसी भी या सभी संस्तुतियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

मधुरंजन 23.11.2026

(मधुरंजन पाण्डेय / Madhuranjan Pandey)
प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:</u>

1. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, स्थान प्रबंधन समिति (SMC)
2. समस्त प्रभाग / अनुभाग / समूह प्रमुख, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीएसआईआर-सीरी विस्तार केंद्र, जयपुर
4. निदेशक के निजी सचिव, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी (निदेशक महोदय के सादर सूचनार्थ)
5. प्रशासन नियंत्रक के निजी सहायक (COA)
6. समस्त सूचना पट्ट / सीएसआईआर-सीरी इंट्रानेट / कार्यालय प्रति

CSIR - CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE

PILANI – 333 031 (RAJASTHAN), INDIA

No. CoA/Committees/2026 **Dated: 23.11.2026**

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Space Management Committee (SMC) for Optimum Utilisation of Institutional Space at CSIR-CEERI, Pilani and its Extension Centre.

CSIR-CEERI, Pilani and its Extension Centres (Jaipur) possess valuable institutional infrastructure comprising laboratories, offices, project spaces, and other facilities. Given the significant recurring expenditure on construction, maintenance, electricity, air-conditioning, water, housekeeping, and other support services—alongside growing R&D and project requirements—it is essential to ensure that available space is utilized in an optimal, transparent, and need-based manner without unnecessary retention or duplication.

Accordingly, the Director, CSIR-CEERI has been pleased to approve the constitution of a **Space Management Committee (SMC)** to ensure the judicious utilization, allocation, and management of institutional space across the Main Centre and Extension Centre, with the following composition:

S. No.	Name & Designation	Position
1.	Dr. Anirban Bera, Sct. G	**Chairperson**
2.	Dr. Pramod Kumar Tanwar, Sct. F	Member
3.	Dr. Jitender Poonia Sct. F	Member
4.	Dr. Mukesh Kumar Alaria, Sct. F	Member
5.	Dr. Jai Gopal Panday, Sct. F	**Member-Convener**
6.	Dr. Amit Kumar, Sct. E	Member
7.	Ms. Shalini Saxena, STO (2)	Member
8.	Dr. Alok Mishra, STO (2)	Member
9.	Head, Civil	Member
10.	Controller of Administration (COA)	Member

2. Terms of Reference the Committee shall:

1. Immediately identify vacant, unutilized and underutilized spaces at CSIR-CEERI, Pilani and its Extension Centre.
2. Prepare and maintain an appropriate inventory of institutional spaces and their utilization status.
3. Bring all vacant and unutilized spaces under a Common Pool of Institutional Space, which shall be utilized for meeting future institutional, scientific and project requirements.

4. Examine and recommend the allocation and reallocation of space based on genuine scientific, technical, administrative or project requirements.
5. Review existing space allocations, wherever necessary, to ensure optimum utilization and avoid unnecessary duplication or redundancy.
6. Ensure that no individual is allotted or retains multiple spaces without clear and justifiable scientific, project or institutional requirements.
7. Consider an individual's space allocation comprehensively across the Main Centre at Pilani and all Extension Centre, including Jaipur. An individual shall not retain multiple independent spaces at different locations without adequate justification and approval of the competent authority.
8. Consider the nature and duration of the requirement, project requirements, equipment and infrastructure needs, availability of existing facilities and possibilities for sharing before recommending additional space.
9. Periodically review space utilization and recommend the return of spaces to the Common Pool where the original requirement has ceased.

3. Common Pool of Institutional Space

All vacant and unutilized institutional spaces identified by the Committee shall form part of the Common Pool of Institutional Space.

The Common Pool shall be managed as an institutional resource and utilized by the Space Management Committee for recommending allocation of space to scientists, projects and institutional activities based on genuine requirements and institutional priorities.

4. Reversion of Allocated Space

Space allocated to any individual shall be treated as an institutional allocation and not as a personal entitlement.

Any space allocated to an individual shall automatically revert to the Common Pool of Institutional Space upon:

- Retirement;
- Resignation;
- Transfer to extension centre;
- Permanent transfer or departure from the Institute;
- Cessation of the scientific, project or institutional requirement for which the space was allocated.

5. Guiding Principle

All institutional space shall be managed as a shared resource and allocated in a transparent, judicious and need-based manner.

The allocation or retention of space shall take into consideration the recurring institutional resources required for its maintenance, including electricity, air-conditioning, water and other infrastructure and support services.

Accordingly, unnecessary occupation, duplication or retention of multiple or underutilized spaces shall not be allowed.

The Committee will do a comprehensive exercise in this regard and submit its recommendations regarding space identification, allocation, reallocation and rationalization to the Competent Authority for appropriate approval within one month from the issuance of this OM.

All concerned shall extend their full cooperation to the Space Management Committee.

Tenure:

The Space Management Committee is constituted for a period of One year or till further orders, whichever is earlier.

Director CSIR-CEERI reserves the right to accept or reject any or all recommendations in full or in parts.

23.11.2026

(Madhuranjan Pandey)
Controller of Administration

Copy to:

1. Chairperson and all Members of the Space Management Committee (SMC)
2. All Heads of Divisions / Sections / Groups, CSIR-CEERI, Pilani
3. Scientist-in-Charge, CSIR-CEERI Extension Centre, Jaipur
4. PS to Director, CSIR-CEERI, Pilani (for kind information of the Director)
5. PA to Controller of Administration (COA)
6. All Notice Boards / CSIR-CEERI Intranet / Office Copy